न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1505/2026

(CNR No.UPBH010040262026)

अंकिता पाल उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्री बाल्मिक पाल उर्फ मोलहे पाल, निवासी–मोंगरे पुरवा, दा०–मसिहाबाद, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच––– ––आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य––– ––––––––अभियोगी।

अपराध संख्या–163/2026,
धारा–103(1), 61(2) बी०एन०एस०,
थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच।

–––

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

16.07.2026

1– थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–163/2026, अन्तर्गत धारा–103(1), 61(2) बी०एन०एस० में जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध आवेदिका/अभियुक्ता अंकिता पाल की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी बाल्मिक पाल के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता का उपरोक्त अभियोग में जमानत प्रार्थना–पत्र दिनाँक–18.06.2026 को निरस्त किया गया है।

3– आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि उसका सत्र न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना–पत्र विचाराधीन नहीं है और न ही निस्तारित हुआ है।

4– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अब्दुल मकसूद ने अपनी पुत्री जाफरुन उम्र 23 वर्ष की शादी वर्ष–2022 में मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार विपक्षी वसीम खान से किया था। शादी के समय अपनी क्षमता से अधिक वसीम खान व उसके परिजनों के दबाव में दान–देहज दिया था। विवाह के कुछ ही समय बाद विपक्षी वसीम खान अपने नातेदार 1. फिरोज 2. सानू से उसकी पुत्री को अतिरिक्त दान दहेज(सोने की चैन, अंगूठी, बुलेट मोटर साइकिल) आदि की मांग करने लगा, जिस कारण उसकी पुत्री ने इसका विरोध किया और उसने भी दान–दहेज दोबारा देने में असमर्थता व्यक्त की, इससे नाराज होकर विपक्षी वसीम खान ने अपने नातेदार 1. फिरोज 2. सानू के साथ मिलकर भिन्न–भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगे, जिस सम्बन्ध में उसकी पुत्री निरन्तर उससे व उसकी पत्नी से शिकायत करती रही। वे लोग बेटी का रिश्ता बने रहने के उद्देश्य से उसे काफी समझा–बुझाकर उसके ससुराल भेजते रहते थे। इसी दौरान उसकी पुत्री का वसीम से 01 बच्ची ढाई वर्ष की भी पैदा हुई तथा एक 05 माह का गर्भ में बच्चा था। इसी दौरान उसका दामाद वसीम उन लोगों व उसकी पुत्री से काफी नफरत करने लगा और अपने ही गांव के दुसरे मजरा मोगरेपुरवा की रहने वाली एक हिन्दू लड़की अंकिता पाल से प्रेम करने लगा। उपरोक्त सभी आरोपीगण अंकिता पाल सहित उसे निरन्तर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए इतना मजबूर कर दिये कि वह उसके घर चली आयी, जिस सम्बन्ध में उसके द्वारा दिनांक– 21.04.2026 को इस आशय का ऑनलाइन शिकायती प्रार्थना–पत्र दिया गया था, जिस पर कुछ रिश्तेदार व अन्य सम्मानित व्यक्तियों के समझाने–बुझाने के कारण उसने अपनी पुत्री को पुनः अपने दामाद के साथ सुलह–समझौता कराकर दिनांक–24.04.2026 को उसके ससुराल भेज दिया था। उसका दमाद वसीम उपरोक्त सभी आरोपीगण यहां तक की अंकिता पाल के साथ मिलकर समझौता किया और उसकी पुत्री को अपने घर ले गया व दिनांक–01.05.2026 की रात्रि में उसकी पुत्री के प्रेम–प्रसंग एवं दहेज के कारण

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.16 16:39:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपरोक्त सभी विपक्षीगण ने उसकी पुत्री की हत्या कर दिया, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर वह दिनांक–02.05.2026 को प्रातः अपनी पुत्री के ससुराल में गया, जहां उसकी पुत्री का शव उसके कमरे के अन्दर था, उसके गले में व चेहरे पर काले चोट के निशान दिखाई दे रहे थे।

5– वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक–03.05.2026 को समय 21:46 बजे आवेदिका/अभियुक्ता एवं सह–अभियुक्तगण वसीम खान पति, फिरोज व सानू के विरुद्ध अपराध सं०–163/2026, धारा–85, 80 बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना–कोतवाली देहात में पंजीकृत की गई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियोग में धारा–103(1), 61(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गई तथा आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा–103(1), 61(2) बी०एन०एस० का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाया गया। तत्पश्चात सह–अभियुक्तगण शानू उर्फ मसूद अहमद व फिरोज की नामजदगी गलत पाये जाने के कारण उनका नाम पृथक किया गया एवं विवेचनोपरान्त आवेदिका/अभियुक्ता व सह–अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र तैयार किया जा चुका है।

6– आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि आवेदिका/अभियुक्ता तथाकथित घटना से अनभिज्ञ एवं निर्दोष है। तथाकथित घटना से आवेदिका/अभियुक्ता का कोई वास्ता सरोकार नहीं है और न ही उसकी उक्त घटना में संलिप्तता रही है। महज सन्देह के आधार पर फर्जी एवं अनावश्यक तथ्यों के आधार पर उसको नामित किया गया है। तथाकथित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–85, 80 बी०एन०एस० व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत हुई। तत्पश्चात आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध विवेचना धारा–103(1), 61(2) बी०एन०एस० में प्रचलित है। तथाकथित मृतका के ससुराल यानी अभियुक्त वसीम खान के घर की बताई गई है, जबकि आवेदिका/अभियुक्ता का घर वसीम खान के घर से दूरी पर है। आवेदिका/अभियुक्ता छात्रा है, जिसका छात्र जीवन और शिक्षा–दीक्षा काफी प्रभावित है और जिला कारागार में रहने से भविष्य अंधकारमय रहने की पूर्ण संभावना है।आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक–11.06.2026 से जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

7– राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए संयुक्त रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदिका अभियुक्ता ने सह–अभियुक्त के साथ आपराधिक षडयन्त्र करके वादी अब्दुल मकसूद की पुत्री जाफरुन की हत्या कारित की। साक्ष्य संकलन के उपरान्त आवेदिका/अभियुक्ता व सह–अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र तैयार किया जा चुका है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध का षडयन्त्र रचकर उसे अन्जाम दिया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत प्रदान किये जाने की दशा में उसके द्वारा विचारण में सहयोग न किये जाने एवं जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करने की संभावना है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8– जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी एवं थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

9– पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया। आवेदिका/अभियुक्ता पर यह अभियोग है कि उसने, सह–अभियुक्त के साथ मिलकर षडयन्त्र करके वादी अब्दुल मकसूद की पुत्री जाफरुन की हत्या कारित की। केस डायरी के साथ संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिनांक–02.05.2026 को मृतका जाफरुन के शव का पोस्टमार्टम चिकित्सक द्वारा किया गया, जिसमें उसके शरीर पर 15 चोटें पाई गईं तथा उसकी मृत्यु का कारण 'Throtting (Manual Strangulation Compressing With Hand) Asphyxia' उल्लिखित किया गया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में वादी अब्दुल मकसूद ने विवेचक को दिये अपने बयान में दामाद वसीम

द्वारा अपने ही गांव के दूसरे मजरा मोगरेपुरवा की रहने वाली अंकिता पाल से प्रेम करने, वादी पक्ष व उसकी पुत्री से नफरत करने, अंकिता पाल सहित सभी आरोपीगण द्वारा निरन्तर उसकी लड़की को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दिनांक–01.05.2026 की रात्रि में प्रेम प्रसंग एवं दहेज के कारण उसकी पुत्री की हत्या कर देने का अभिकथन किया है। उक्त कथनों का समर्थन साक्षीगण मृतका की मां श्रीमती सुग्गी उर्फ आमना, मृतका के चाचा महबूब अली व मृतका के भाई हिदायत अली ने तथा केस डायरी के पर्चा संख्या–11 में साक्षी मृतका के भाई मसूद, मृतका के मामा कमरूद्दीन व मैनुद्दीन ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–15 में मृतका के ससुर नादिर खां ने विवेचक को दिये अपने बयान में लगभग छः महीने पूर्व वसीम को मोगरेपुरवा की अंकिता पाल के चक्कर में पड़े होने, चार माह पूर्व वसीम के मुम्बई चले जाने पर जाफरुन को उसके मायके भेजवा देने, चौकी पर आपस में सुलह–समझौता होने, वसीम द्वारा ससुराल जाकर जाफरुन को विदा कराकर घर लाने, सुबह करीब तीन बजे के आस–पास वसीम की लड़की अनाया के आंगन में रोने पर उसके व उसकी पत्नी द्वारा मौके पर जाफरुन को मृत अवस्था में बेड पर पड़े हुए देखने का अभिकथन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–16 में स्वतंत्र साक्षी जुनेद, अब्दुल हई, संदीप कुमार निषाद, निजामुद्दीन खां व लईक खान ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में वसीम का मोगरेपुरवा की अंकिता पाल से प्रेम सम्बन्ध होने तथा वसीम द्वारा अपनी पत्नी जाफरुन को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा अंकिता पाल के साथ मिलकर जाफरुन की हत्या करने का अभिकथन किया है। आवेदिका/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। साक्ष्य संकलन के उपरान्त विवेचक द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप–पत्र तैयार किया जा चुका है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

10. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत का युक्तियुक्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतएव जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता अंकिता पाल की ओर से अपराध संख्या–163/2026, धारा–103(1), 61(2) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांक–16.07.2026 **Id.UP2017**